न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 09/2014 इम्तियाजुद्दीन बनाम अफरोजा वगैरा

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. इम्तियाजुद्दीन पुत्र स्व0 निजामुद्दीन खान उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी दुदिया तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.श्रीमती अफरोजा बेगम पत्नी स्व0 रियाजुद्दीन खान 02.सरफराजुद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 03.जलालुद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 04.शहाबुद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 05.नईमुद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 06.कलीमुद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 07.रफिउद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 08.फखरूद्दीन खान पुत्र स्व0 रियाजुद्दीन खान 09.गौसुद्दीन खान पुत्र स्व0 फयाजुद्दीन खान जाति मुसलमान निवासी कर्नल साहब की हवेली उदयमन्दिर जोधपुर। 10.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी ग्राम दूदिया पटवार सर्कल भाचनणा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 53 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:-

1. श्री चैनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनाक 4/5/2022

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करने बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम दुदीया पटवार हल्का भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। ग्राम दुदीया के खसरा नम्बर 112,119,129,131,137,140,142,147,148,162,209,211,224,229,247,252,270,278,283,292,296, कुल खसरा 21 रकबा 435 बीधा 12 बिस्वा कृषि भूमि के कर्नल मोहियुददीन खान व उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र निजामुददीन खान बहैसियम मालिक के काबिज काश्तकार रहे तथा वर्णित कृषि भूमि पर उनका वक्त सेटलमैट के पुर्व से ही कब्जा व काश्त निरन्तरत निर्बाध रूप से चला रहा है तत्पश्चात निजामुददीन खान पुत्र मोहियुददीन खान का भी स्वर्गवास हो गया तथा उनके स्वर्गवास कि पश्चात उक्त खसरान की कृषि भूमि पर उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त खसरान की कृषि भूमि पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान एवम उतराधिकारियो मे उनके चार जाईन्दा पुत्र कमश रियाजुददीन खान नियाजुददीन खान फयाजुदीन खान व वादी स्वयम इम्तियाजुदीन खान काबिज मालिक काश्तकार एवम खातेदार हुये परन्तु प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पति/पिता यानि वादी के भाई रियाजुददीन सबसे बडे एवम बालिग थैं इस कारण रेकर्ड मे अकेले रियाजुददीन का ही नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे अमल दरामद करवा दिया गया। प्रतिवादी सख्या 01 ता 04 के पति/पिता रियाजुददीन ने अर्स दराज तक इन तथ्यो का खुलासा अपने अन्य भाईयो के बालिग होने पर भी नही किया तथा उनके मन मे कपटपुर्ण एवम बदनीयती आ जाने से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तथा उक्त खसरान की कृषि भूमि की खातेदारी अकेले उनके नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो जाने से उनके द्वारा उक्त खसरान की कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरान की कृषि भूमि का गुपचुप तरीके से बेचान व हस्तानान्तरण कर दिया गया तथा उससे अर्जित धनराशि अपने स्वय के हितार्थ उपयोग व उपयोग मे ले ली गई जबकि स्वीकृत रूप से उक्त खसरान की कृषि सहित अन्य खसरान की कृषि भूमि जो अविधिक व गैरकानूनी प्रकिया अपना प्रतिवादी सख्या 01 ता 04 के पति/पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे बेचान व हस्तानान्तरित की गई उस कृषि भुमि को अकेले बेचान व हस्तारित करने का कोई विधिक हक व अधिकार वादी के भाई रियाजुददीन का हासिल ही नही था वादी ने अपने अन्य भाईयो के सामलाती उक्त खसरान कि कृषि भूमि पर लगातार व निर्बाध रूप से कब्जा व काश्त रहा,परन्तु वादी व उनके भाईयो के मध्य कभी उक्त खसरान की कृषि भूमि को लेकर कोई विवाद उत्पन हुआ हि नही इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड खंगालने की जरूरत ही नही पडी तथा वादी के भाई रियाजुददीन भी प्रतिवादी सख्या 01 ता 04 के पति/पिता वादी सहिता अन्य भाईयों नियाजुददीन खान व फयाजुददीन खान को यही आश्वासन देते रहे कि उक्त खसरान की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा जब अन्य सम्पतियो का बटवाडा किया जायेगा तब इस कृषि भूमि का भी बटवाडा कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल मे ही वादी सहित अन्य भाईयो को यह भी आश्वस्त किया था कि जब भी परिवारिक व्यवस्था होगी तो उनका नाम भी राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करवा दिया जायेगा इस कारण वादी व उसके अन्य भाई इसी भ्रम व आश्वासन मे अपना अपना जीवन यापन करते रहै। जब दिनॉक 25.12.2013 व 03.01.2014 को जब वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 जो वादी की कमश भाभी व भतीजे है से सम्पर्क का उक्त खसरान की कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बटवाडा करने के लिए निवेदन किया गया तब वादी के भतीजे यानि प्रतिवादी सख्या 2 से 4 व वादी की भाभी प्रतिवादी सख्या 1 ने वादी को एलानिया कहा कि उक्त खसरान की कृषि भूमि उनके पति/पिता रियाजुददीन की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उनके पति/पिता रियाजुदीन व प्रतिवादी सख्या 1 का हि नाम राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है। इस कारण अब इन खसरान की कृषि भूमि मे वादी सहित वादी के अन्य भाईयो के वारिसान एवम उताराधिकारी का कोई बंट हक हिस्सा नही है और न ही वे इस हिस्से को कभी भी क्लेम कर सकेगे जिस खसरान की कृषि भूमि पर जब से वादी ने होश सम्भाला है तभी से उस पर काबिज काश्तकार चला रहा है तथा वर्तमान मे वादी अपने अविभक्त 1/4 बट–हक–हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है इस प्रकार का कथन व कृत्य करने का कोई विधिक हक व अधिकार हासिल प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को हासिल नही है तथा न ही अकेले प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को उक्त खसरान की कृषि भूमि का बेचान व हस्तान्तरण करने का हि विधिक हक व अधिकार हासिल है इस कारण वादी के पास यह वाद बाबत घोषणा बटवाडा एवम स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर इस आश्य की डिक्री पारित करवाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है इस कारण इस वादपत्र के जरिये वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 के मध्य इस आशय की घोषणा की जाना न्यायोचित एवम विधिसम्मत है उक्त खसरान की कृषि भूमि मे वादी का 1/4 प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का सयुक्त रूप से 1/4 प्रतिवादी सख्या 5 से 8 का सयुक्त रूप से 1/4 व प्रतिवादी सख्या 9 का 1/4 बटःहकःहिस्सा है तथा इसी प्रकार से खातेदारी उनके नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जाने की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जाने हेतु बटवाडा का दावा प्रस्तुत किया गया।

वाद मे प्रतिवादी सख्या 5 व 9 की ओर से जबावदावा मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पद सख्या 1 से 11 को सही होना व कानूनी होने से स्वीकार है। वाद मे प्रतिवादी सख्या 6 से 8 की ओर से भी जबावदावा पेश किया गया जिसमे भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सही होना व स्वीकार है। जबाव मे वादी का वाद स्वीकार व वादी व प्रतिवादीगण के बीच बटवाड किया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जबाव दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकी कायम की गई :–

01.आया वादी खेत खसरा नम्बर 112, 119, 129, 131, 137, 140, 142, 147, 148, 162, 209, 211, 224, 229, 247, 252, 270, 278, 283 ,292, 296, कुल खसरा 21 रकबा 435 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वाशी के 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाए जाने का अधिकारी है :– जिम्मेवादी

02.आया वादी उक्त अराजियात की बाई मिन्टस एण्ड बाउण्डस के बटवाडा करवाए जाने का अधिकारी है :–जिम्मेवादी

03.आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी करवाए जाने का अधिकारी है :–जिम्मेवादी

04. अनुतोष।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह नईमुदीन पी.डब्ल्यू–1, गवाहन कलीमुदीन पी. डब्ल्यू–2 एवं गवाह रफीउदीन पी.डब्ल्यू.–3 फखरूदीन गवाह पी डब्ल्यू 4 गौसुदीन गवाह को इस वाद परीक्षित करवाया। एवं जिसमे वादी द्वारा वाद पेश किया गया उसमे वादी व प्रतिवादी 1/4 के हिस्से अनुसार डिकी पारित कि जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने जबाव के तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कि गई वादी अधिवक्ता द्वार बताया गया कि वादी की ओर से प्रकरण मे समस्त साक्ष्य एवम दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद ही लिखित बहस पेश की गई वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वजो की कब्जाकाश्त पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम दुदीया पटवार मण्डल भाचरना के खसरा नम्बर 112, 119, 129, 131, 137, 140, 142, 147, 148, 162, 209, 211, 224, 229, 247, 252, 270, 278, 283, 292, 296, कुल खसरा 21 रकबा 435 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वाशी आई हुई हैं जो परदादा कर्नल मोईनुदीन खान के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी तथा इनके इन्तकाल पश्चात उनके पुत्र निजामुददीन खान खातेदार उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर लगातार कृषि कार्य करते रहे। रियाजुददीन के चार पुत्र थे 01.रियाजुदीन खान 2 नियाजुदीन खान 3 फियाजुदीन खान 4 इम्तियाजुदीन खान थे। उपरोक्त तथ्य भी निर्विवाद है तथा प्रतिवादीगण द्वारा इस पर कोई आपति जबाव दावे अथवा अपनी साक्ष्य मे प्रस्तुत नही की गई। प्रकरण मे प्रतिवादी सख्या 01 से 04 एवम उनके मुत्युपरान्त रेकार्ड पर लिये गये विधिक वारिसान पर नोटिस की तामील की गई तामील होने के पश्चात उनकी ओर से न्यायालय मे जिरह भी की गई प्रतिवादी सख्या 1 से 4 ओर से अपने पक्ष मे कोई भी दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये गये ओर न हि प्रतिवादी सख्या 1 से 4 की ओर से न्यायालय मे साक्ष्य हि दी गई है प्रतिवादी सख्या 1 से 4 द्वारा अपने पिता रियाजुदीन का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के सबध मे कोई दस्तावेज साक्ष्य अथवा मोखिक अथवा लिखित साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया यह सिद्व होता है कि किस आधार पर मात्र रियाजुदीन का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया इस स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड मे मिलीभगती अथवा भुलवश दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

जबकि सम्पुर्ण खसरान मे वादी उसके भाइयो का बराबर बराबर 1/4 हिस्सा बनता है वादी अधिवक्ता द्वावरा लिखित बहस मे वादी का वाद स्वीकार करना का निवेदन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकल किया गया वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पर मनन किया गया जिसमे जमाबन्दी सवंत 2026–2029 के अनुसार वादी का नाम खातेदारी मे इन्द्राज है तथा जमाबन्दी सवत 2030–2033 के अनुसार उक्त खसरान् मे जरिये नामान्तरकरण सख्या 34 के पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी रियाजुदीन के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 34 के द्वारा प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसका दावे मे उल्लेख नही किया गया तथा न ही किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौति दी गई। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी स्वयं खातेदार रहा है। अत– इस आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, (जोधपुर)

यह निर्णय आज दिनांक 4/5/2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी